उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
संख्याः 3/2019/9/7/35-आ-2/99-55
लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999) की धारा 19 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (पंचम संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (पंचम संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली 2008 में, अनुसूची में, -

नीचे स्तम्भ-एक में दी गई क्रम संख्या 01 और 39 की प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गई प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात :-

स्तम्भ-एक विद्यमान प्रविष्टियाँ								स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियाँ						
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
1	इलाहाबाद	32	3	5	8	40		1	प्रयागराज	32	3	5	8	40
39	फैजाबाद	24	3	3	6	30		39	अयोध्या	24	3	3	6	30

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajya Yojna Ayog Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 3/2019/9/7/35-AA-2/99-55 dated March 06, 2019

Notification

No- 3/2019/9/7/35-AA-2/99-55
Lucknow: Dated March 06, 2019

In exercise of the powers under section 19 of the Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999 (U.P. Act. no. 32 of 1999), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh District Planning Committee Rules 2008:-

THE UTTAR PRADESH DISTRICT PLANNING COMMITTEE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2019

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh District Planning Committee (Fifth Amendment) Rules, 2019

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of the Schedule

2- In the Uttar Pradesh District Planning Committee Rules, 2008, in the Schedule, for the entries at serial 01 and 39 set out in column-I below, the entries as set out in column-II shall columnwise be substituted, namely:-

Column-I *Existing entries*								**Column-II** *Entries as hereby substituted*						
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
1	Allahabad	32	3	5	8	40		1	Prayagraj	32	3	5	8	40
39	Faizabad	24	3	3	6	30		39	Ayodhya	24	3	3	6	30

By order,

DEEPAK TRIVEDI
Additional Chief Secretary
Planning Department.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in